

दिनांक  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

२१/१२/२३ पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलानं २३५२  
वकील अपीलानं २३५२ द्वारा पत्रावली में कहस  
हेतु अपीलानं २३५२ को निलंबित किया  
है। वकील अपीलानं २३५२ को कहस हेतु अपीलानं  
अपीलानं २३५२ दिया जाता है। पत्रावली अपीलानं  
कहस हेतु दिनांक १२/१२/२३ को पेश हो।

अति. जिला कलेक्टर  
बाली (पाली)

१२/१२/२३

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार ने वकालतनामा पेश किया। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब हेतु मौखिक निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर मौजूद रहने से अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझती है। दोनों पक्षों की ओर से बहस समाहीत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 05.08.2022 की आदेश तालिका का अवलोकन किया गया जिसमें आगामी पेशी का अंकन नहीं है, अंतिम आदेश तालिका जिसके जरीये प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया गया है, उसमें दिनांक का उल्लेख नहीं है। अपीलार्थी अधिवक्ता का मूल रूप से न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने की कोशिश की गई कि अपीलार्थी भूमिहीन है, एवं अपीलार्थी अधिवक्ता से संबंधित कृषि भूमि पर अपीलार्थी का पुराना कब्जा है। अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिससे उक्त भूमि में नियमन की सिफारिश किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली के परिशीलन एवं विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, बेड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक नील को अपास्त किया जाना एवं प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश पारित किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय को उक्त आदेश अपास्त किया जाता है, एवं अधिनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः नम्बर पर लेकर अपीलार्थी (पंर रायल) को नोटीस जारी कर सुनवाई का उचित अवसर देकर रिकॉर्ड इत्यादि का अवलोकन कर अपीलार्थी के प्रकरण के संबंध में नये सिरे से न्यायसंगत आदेश पारित करें।

उक्त अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, बेड़ा को रिमाण्ड किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
बाली, जिला-पाली